GCMS No.- 2025/124

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी	अप्रार्थी
कोनाराम पुत्र श्री जेठाजी, जाति वागरी निवासी वेलांगरी, तह. व जिला सिरोही।	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 66/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/1057 दिनांक 19.11.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार, सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम गुआरी खेडा, पटवार हल्का वेलांगरी में जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता सं. 238 खसरा सं. 125, 126, 127 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4900 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी का खातेदार के रूप में नाम दोना पुत्र जेठा दर्ज है जो अशुद्ध है। उपरोक्त वर्णित आराजी के भू–प्रबन्ध पूर्व के नम्बर क्रमशः 101, 101मी व 102 है। उपरोक्त वर्णित आराजी में जेठा पुत्र कला का नामा. सं. 279 दायर किया गया तब वारिसान सदीया भीखा रावा कोना पि. जेठा मु. कदकी बेवा जेठा दर्ज हुआ। वक्त बन्दोबस्त के दौरान कोना पि. जेठा के स्थान पर दोना पि. जेठा दर्ज हुआ एवं कदकी बेवा जेठा के स्थान पर कपनी धर्म पत्नि जेठा दर्ज हुआ जो गलत है। आधार कार्ड, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम कोनाराम पुत्र जेठा है। अतः राजस्व रेकर्ड में दोना पुत्र जेठा के स्थान पर कोनाराम पुत्र जेठा किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम गुआरी खेडा, पटवार हल्का वेलांगरी में खाता सं. 238 खसरा सं. 125, 126, 127 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4900 हैक्ट. की आराजी में खातेदार का नाम दोना पुत्र जेठा के स्थान पर कोनाराम पुत्र जेठा संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही	